संख्या– 53 /VI-I/2007–68(सं0)/2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 09 फरवरी, 2007

विषयः–उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा संस्कृति विभाग, उत्तरांचल के सहयोग से पर्वतीय पर्व श्रृंखला के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यकमों के आयोजन पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1650/सं0नि0उ0/दो–3/2006–07, दिनांक 02 दिसम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा संस्कृति विभाग, उत्तरांचल के सहयोग से पर्वतीय पर्व श्रृंखला के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यकमों के आयोजन पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 2,24,604.00 (रूपये दो लाख चौबीस हजार छः सौ चार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है, कि स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन की पूर्वानुमति से ही किया जायेगा तथा मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीनित रखा जायेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के आधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3–धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय मे मितव्यता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेंजे।

4–किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार कय नियम तथा मितव्ययता संबंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5–विभिन्न आयोजनों से संबंधित धनराशियों को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने एवं शासन स्तर पर प्रशासकीय निर्णय लिये जाने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा ।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–03–2007 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उक्त तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा एवं शासनादेश संख्या–484/VI-I/2006–13(7)/2004 दिनांक 29 सितम्बर,2006 द्वारा निवर्तन पर रखी गई धनराशि से व्यय किया जायेगा।

7–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ.शा. पत्र संख्या–1598/वित्त अनुभाग–3/2007, दिनांक 05 फरवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 53 /VI-I/2007–68(सं0)/2003, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा/बागेश्वर/हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

09020704